उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-13/1354/26-3-2014-रिट(23)/2011
लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय ज्ञाप-12/26-3-2012-रिट(23)/2011 दिनांक 07.01.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 निर्गत की गयी है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-306/26-3-2013-रिट(23)/2011 दिनांक 18.06.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1568/26-3-2013-रिट(23)/2011 दिनांक 02.12.2013 द्वारा उक्त नियमावली के कतिपय प्रस्तरों को संशोधित किया गया है। निदेशक समाज कल्याण के पत्र संख्या-54/स0क0/शिक्षा-अ/छात्र0नियमा0/2014-15 दिनांक 08.08.2014 के माध्यम से प्राप्त सुझावों पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त नियमावली के निम्न प्रस्तरों को संशोधित (तृतीय संशोधन) करते हुए निम्नवत् व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती है-

क्र. सं.		वर्तमान नियम		प्रतिस्थापित नियम
1	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नियमावली-2012 कहलायेगी।	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना-नियमावली (तृतीय संशोधन)2014 कहलायेगी।
2	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे सामान्य वर्ग के गरीब माता-पिता अथवा अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे सामान्य वर्ग के गरीब माता-पिता अथवा अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।
3	प्रसार/विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्रायें आच्छादित होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/मूल निवासी हों।	प्रसार/विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्रायें आच्छादित होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/ मूल निवासी हों।
4	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान माह जुलाई 2012 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान माह जुलाई 2014 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
5	परिभाषा		परिभाषा	
	i-राज्य सरकार	राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।	(i)राज्य सरकार	राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
	ii-अभ्यर्थी	अभ्यर्थी का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। ऐसे अभ्यर्थी जो पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, इसके लिये अर्ह होंगे। पत्राचार में सुदूर एवं अनुवर्ती शिक्षा शामिल है।	(ii) अभ्यर्थी	अभ्यर्थी का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।
			(iii) निदेशालय	निदेशालय का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश से है।
			(iv) निदेशक	निदेशक का तात्पर्य निदेशक समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश से है।
			(v) वित्त नियन्त्रक	वित्त नियन्त्रक का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश के वित्त नियन्त्रक से है।
			(vi) नोडल अधिकारी	नोडल अधिकारी का तात्पर्य निदेशक समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नोडल अधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

				से है।
			(vii) राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार	राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार का तात्पर्य जवाहर भवन लखनऊ स्थित कोषागार से है।
	iii. शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	शिक्षण संस्था का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व पाठ्यक्रम का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित व सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।	(viii) शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	शिक्षण संस्था का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व पाठ्यक्रम का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित व सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।
	(iv) सामान्य वर्ग	सामान्य वर्ग का तात्पर्य उन जाति समूहों से है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के अन्तर्गत न आते हों। अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित होंगे।	(ix) सामान्य वर्ग	सामान्य वर्ग का तात्पर्य उन जाति समूहों से है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के अन्तर्गत न आते हों। अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित होंगे।
	v -बैंक	बैंक का तात्पर्य बैंकिग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है जिसमें कोर बैंकिंग एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि अन्तरण की सुविधा उपलब्ध हो।	(x) बैंक	बैंक का तात्पर्य बैंकिग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग एवं PFMS साफ्टवेयर के माध्यम से धनराशि अन्तरण की सुविधा उपलब्ध हो।
	vi-शैक्षणिक सत्र	शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य किसी वर्ष विशेष में समय के ऐसे निर्धारित अन्तराल से है जिसके अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्धारित नीति के अनुसार शिक्षण कार्य सम्पन्न किया जाता हो।	(xi) शैक्षणिक सत्र	शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।
	vii. फ्री सीट	केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से व्यवसायिक/तकनीकी/मेडिकल पाठ्यक्रमों में आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर काउसिंलिंग के माध्यम से उपलब्ध अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सीट या इण्टरमीडियट एवं गैर व्यवसायिक/गैरतकनीकी/गैर मेडिकल पाठ्यक्रमों में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर भरी गयी सीट।	(xii)फ्री सीट	विलोपित
	viii. पेड सीट	केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से व्यवसायिक/तकनीकी/मेडिकल पाठ्यक्रमों में आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर काउसिंलिंग से इतर अथवा प्रबन्धकीय कोटे या शासकीय/गैरशासकीय संस्थानों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत भरी गयी सीट।	(xiii) पेड सीट	विलोपित
	ix. छात्रवृत्ति का मूल्य	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियां सम्मिलित होगीः- (क) अनुरक्षण भत्ता (ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति (ग) अध्ययन दौरा खर्च (घ) शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च (च) पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता (छ) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता।	(xiv) छात्रवृत्ति का मूल्य	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशिया सम्मिलित होगीः- (क) अनुरक्षण भत्ता (ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति (ग) अध्ययन दौरा खर्च (घ) शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च (च) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता।
	x. शुल्क	(क) शुल्क का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली	(xv) शुल्क	(क) शुल्क का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

		धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण परीक्षा शिक्षा खेल यूनियन लाइब्रेरी पत्रिका चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि शामिल होंगें।		इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण परीक्षा शिक्षा खेल यूनियन लाइब्रेरी पत्रिका चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों शामिल होगी। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
		(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की फ्री एवं पेड सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। तथापि पेड सीटों के सापेक्ष छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करते समय, छात्र द्वारा संलग्न किये गये आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय की जांच अनिवार्य रूप से की जायेगी।		(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा रू0 50,000 में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
		(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठयक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के किसी अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान में उसी पाठ्यक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा सम्बन्धित संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि जो भी कम हो भुगतान की जायेगी।		(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठयक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में उसी पाठ्यक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा सम्बन्धित संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि अथवा रू0 50000/-में से जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
		(घ) जो निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अधिकृत नहीं हैं व पाठ्यक्रम के शुल्क भी सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति दर अथवा संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि, जो भी कम हो, भुगतान की जायेगी।		(घ) जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित नहीं हैं उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु उत्तर प्रदेश शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से विशेषज्ञ समिति गठित करके शुल्क निर्धारण करेंगे क्योंकि शुल्क निर्धारण एक तकनीकी कार्य है। सक्षम प्राधिकारी स्तर से ऐसे पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण होने तक सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के जनपद/मण्डल/प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों, राज्य/ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस अथवा रू0 50000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
				(च) आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नान-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नान-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक धनराशि अथवा रू0 50000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी।
			अनुमन्य	(छ) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिए

http://shasanadesh.up.nic.in

			शुल्क के अभिलेखों का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण	अधिकृत राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभागों यथा-तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण संबंधी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष दिनांक 15 जुलाई तक निदेशक समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर संबंधित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि निर्धारित तिथि तक प्रशासकीय विभागों द्वारा फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो विगत वर्ष में संबंधित पाठ्यक्रम की सक्षम स्तर से निर्धारित फीस को ही वर्तमान वर्ष की मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
				(ज) किसी भी जनपद में संचालित राजकीय संस्थानों, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों, राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयो, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सक्षम स्तर से निर्धारित अनुमन्य शुल्क के विवरण का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा व मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।
6	अर्हता	छात्रवृत्ति हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगेः- (i) केवल वे ही उम्मीदवार इसके पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेन्ड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।	अर्हता	छात्रवृत्ति हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगेः- (i) केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेन्ड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापिः- (अ) प्राइवेट संस्थानों में परिशिष्ट-झ में अंकित प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जहां कक्षा-12 के प्राप्तांको के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, वहां छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु बेंचमार्क कक्षा-12 की परीक्षा में 60 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक होगा। यह प्राविधान गैर प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे। (ब) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण, त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
		(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर या सेकेण्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी। क-विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रमों। ख-निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रमों। ग-ट्रेनिंगशिप डफरिन(अब राजेन्द्रा) के		(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेण्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी। क-विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम। ख-निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम। ग-ट्रेनिंगशिप डफरिन(अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम। घ-सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण

http://shasanadesh.up.nic.in

		पाठ्यक्रमों। घ- सैनिक महाविद्यालय। च-देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यकमों। छ-अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रमों के लिये छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।		पाठ्यकम। च-अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम। छ-पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम। ज-कामर्शियल पाइलेट लाइसेन्स के पाठ्यक्रम (सी0पी0एल0)
		(iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।		(iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।
		(iv) ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ- इण्टर आर्टस् करने के बाद इण्टर साईंस करने लगें या बी0ए0 करने के बाद बी0काम करने लगे, या एक विषय में एम0ए0 करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम0ए0 करने लगे।		(iv) ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ- इण्टर आर्टस् करने के बाद इण्टर साईंस करने लगें या बी0ए0 करने के बाद बी0काम करने लगे या एक विषय में एम0ए0 करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम0ए0 करने लगे।
		(v) ऐसे छात्र, इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगे, जैसे-बी.टी./बी0एड0 के बाद एल.एल.बी. करने लगें। शैक्षिक वर्ष 1980-81 से दो व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने की अनुमति है।		(v) ऐसे छात्र, इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगे जैसे-बी0टी0/बी0एड0 के बाद एल0एल0बी0 करने लगें।
		(vi) सतत स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण बहुद्देशीय हाईस्कूल की 12वीं कक्षा के हायर सेकेन्ड्री स्कूल पाठ्यक्रमों की 11वी कक्षा के छात्र इसके पात्र नहीं होंगे, तथापि उन मामलों में, जहां ऐसे पाठ्यक्रमों की 10वी कक्षा की परीक्षा मैट्रीकुलेशन के समकक्ष मानी जाती हो, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जायेगा।		(vi) सतत स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण बहुद्देशीय हाईस्कूल की 12वीं कक्षा के हायर सेकेन्ड्री स्कूल पाठ्यक्रमों की 11वी कक्षा के छात्र इसके पात्र नहीं होंगे, तथापि उन मामलों में जहां ऐसे पाठ्यक्रमों की 10वी कक्षा की परीक्षा मैट्रीकुलेशन के समकक्ष मानी जाती हो, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जायेगा।
		(vii)यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहें हैं तो एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मैनशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।		(vii) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहें हैं तो एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/ हाऊस मैनशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।
		(viii) चिकित्सा में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।		(viii) चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।
		(ix) किसी भी मान्यता प्राप्त स्नाकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका(स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।		(ix) किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका(स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।
		(x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक		(x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातक/

http://shasanadesh.up.nic.in

		पूर्व/स्नात्कोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। उसके बाद समूह-1(परिशिष्ट क में अंकित समूह) के पाठ्यक्रमों को छोडकर अनुत्तीर्ण होने पर छूट नहीं दी जायेगी।		स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। उसके बाद समूह-1(परिशिष्ट क में अंकित समूह) के पाठ्यक्रमों को छोडकर अनुत्तीर्ण होने पर छूट नहीं दी जायेगी।
		(xi) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न की जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।		(xi) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न किये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।
		(xii) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।		(xii) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
		(xiii) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र छात्रवृत्ति या वजीफा दोनों में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति या वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।		(xiii) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति/ वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र उक्त दोनों छात्रवृत्ति/वजीफा में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/वजीफा स्वीकार करता/ करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।
		(xiv) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/ राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहें हैं कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।		(xiv) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/ राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहें हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।
		(xv) जब तक माता पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेराजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तक माता-पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतो से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों(अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता		(xv) जब तक माता पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेराजगार के मामले में पति) जीवित हैं तब तक माता- पिता/ पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतो से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों(अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक

http://sirsandesh.info.in

		की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्ते पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।		की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्ते पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।
7	मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य	प्रदेश के अन्दर वितरित की जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा के निवास का अंकन होने पर पृथक से सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के बाहर की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।	मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य	प्रदेश के अन्दर वितरित की जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा के निवास का अंकन होने पर पृथक से सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के बाहर की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।
8	माता-पिता/ अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमन्य साक्ष्य	माता-पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगेः- (i) माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, के नौकरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आय को रू0-10/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर घोषित करते हुये शपथ-पत्र के माध्यम से देना होगा।	माता-पिता/ अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमन्य साक्ष्य	माता-पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगेः- (i) माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, के नौकरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आय का घोषणा पत्र देना होगा।
		(ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो उनके नौकरी में न होने की दशा में समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।		(ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, उनके नौकरी में न होने की दशा में समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।
		(iii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को आय में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति की गयी हो।		(iii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को आय में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।
		(iv) आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय-प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।		(iv) आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय-प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।
		(v) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।		(v) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र/वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।
9	मास्टर डाटाबेस व संस्थाओं का	(i) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नाम व विवरण समाज कल्याण विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं के सन्दर्भ में संचालित मास्टर डाटा बेस	मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं	(i) प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण

http://shasanadesh.up.nic.in

	पंजीकरण कोर्समास्टर में	में तथा पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में संचालित कोर्स मास्टर में निर्धारित समय सीमा तक शामिल होने पर ही ऐसी संस्थाओं के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देय होगी।	का पंजीकरण तथा कोर्समास्टर	संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा-शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक अनिवार्य नान रिफन्डेबिल शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेगें एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेगें। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होगें।
		(ii) जनपद स्तर पर निर्धारित तिथि तक शैक्षणिक संस्थाओं के नाम मास्टर डाटा बेस में जिलाधिकारी की अनुमति से जोडे जा सकेंगे। निर्धारित तिथि तक छूट गयी संस्थाओं के सम्बन्ध में उपयुक्त कारण दर्शाये जाने की दशा में जिलाधिकारी की संस्तुति पर एवं निर्धारित तिथि के पश्चात नवीन मान्यता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के नाम मास्टर डाटा बेस में निर्धारित तिथि से एक माह के अन्दर मण्डलायुक्त की अनुमति से जोड़े जा सकेंगे। इसके पश्चात डाटाबेस में प्रविष्टि की अनुमति देने का अधिकार केवल शासन को होगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई पात्र संस्था छूटने न पाये तथा कोई गलत संस्था मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित न हो सके।		(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 जून तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 जून के पश्चात् मान्यता/ सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा।
				(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान-रिफण्डेबिल शुल्क(फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन भरा जायेगा। संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/ अपलोड कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।
				(iv) जनपद में संचालित बैंक, बैंक शाखाओं तथा उनके आई0एफ0एस0 कोड का शुद्ध विवरण मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित किया जायेगा। बैंक, बैंक शाखाओं के नाम व उनके आई0एफ0एस0 कोड को मास्टर डाटाबेस में शामिल कराने एवं आई0एफ0एस0 कोड की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।
				(v) प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

				मास्टर डाटावेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा त्रुटियो का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटावेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेगें। अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेगें। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटावेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं त्रुटियो का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना(प्रदेश के बाहर), समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
				(vi) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों हेतु स्वीकृत सीटों की संख्या एवं वार्षिक अनिवार्य नान रिफण्डेबल शुल्क(फीस) आदि का मिलान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यू.पी.टी.यू., ए.आई.सी.टी.ई. यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई, एम.सी.आई., विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा परिषदों तथा बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से एवं संबंधित शैक्षिक पाठ्यक्रमों के प्रशासकीय विभागों/शिक्षण संस्थानों/ शिक्षा अधिकारियों/समाज कल्याण निदेशालय से प्राप्त फीस निर्धारण संबंधी आदेशों से मिलान कर त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटा में शिक्षण संस्थानों द्वारा अंकित की गयी पाठ्यक्रम की फीस की धनराशि को सत्यापित करते हुए पूर्णतया संतुष्ट होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने डिजीटल सिगनेचर से निर्धारित तिथि को लाक किया जायेगा। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटावेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हार्ड कापी से प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना(प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा करके त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटावेस में भरे गये विवरण को प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना(प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजीटल सिगनेचर से निर्धारित तिथि को लाक किया जायेगा।
10	अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित	(i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार अनुरक्षण भत्ता की दर व विकलांग	अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित	(i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार अनुरक्षण भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए

http://shasanadesh.up.nic.in

	दरें।	छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधान किया गया है, वह तद्वरूप लागू रहेगा, संलग्नक परिशिष्ट-क में अंकित है।	दरें।	अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधान किया गया है, वह तद्वरूप लागू रहेगा, जो संलग्नक परिशिष्ट-क में अंकित है।
		(ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको अनुरक्षण भत्ता की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जायेगा।		(ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको अनुरक्षण भत्ता की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जायेगा।
11	छात्र को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण।	(i) छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। (ii) जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था को, शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि एक मुश्त भुगतान की जायेगी। (iii) जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा से भिन्न अन्तराल पर होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था हो, प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति प्रवेश पाने की पुष्टि के बाद ही की जायेगी। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने की दशा में प्रत्येक सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति उस सेमेस्टर में प्रवेश पा लेने के बाद ही की जायेगी। (iv) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित वरीयता क्रम में शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगीः- (क) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें। परन्तु समुचित धनराशि उपलब्ध न होने पर उनके माता-पिता/अभिभावक की आय न्यूनतम से प्रारम्भ कर आरोही क्रम (Ascending) में बजट की उपलब्धता की सीमा तक। अन्तिम आय सीमा एक से अधिक छात्रों की समान होने पर अधिक उम्र के छात्र को वरीयता देते हुये। एक से अधिक छात्रों की आयु समान होने की दशा में नाम के एल्फाबेटिकल आर्डर(A to Z) में धनराशि स्वीकृत की जायेगी। (ख) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें। परन्तु समुचित धनराशि उपलब्ध न होने पर उनके माता-पिता/अभिभावक की आय न्यूनतम से प्रारम्भ कर आरोही क्रम (Ascending) में बजट की उपलब्धता की सीमा तक। अन्तिम आय सीमा एक से अधिक छात्रों की समान होने पर अधिक उम्र के छात्र को वरीयता देते हुये। एक से अधिक छात्रों की आयु समान होने की दशा में नाम के एल्फाबेटिकल आर्डर(A to Z) में धनराशि स्वीकृत की जायेगी। (ग) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम	छात्र को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण	(i) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। (ii) विलोपित (iii) विलोपित (iv) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रो को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रो को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक अभ्यर्थी के नाम के बैंक बचत खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगीः- (क)-केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/ निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें। (ख)-केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें। (ग)-निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें। नोटः- उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र/छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र/ छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम (क) से (ग) तक जारी रहेगा (अ) प्रत्येक वरीयता क्रम के अन्दर छात्रों का चयन उसके परिवार की कुल वार्षिक आय विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान कर निम्नलिखित रीति से किया जायेगाः- 1(i)- अभ्यर्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय के अंकः- क्रसं. | आय स्लैब रू)0 में(| वेटेज अंक

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है में फ्री सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें। परन्तु समुचित धनराशि उपलब्ध न होने पर उनके माता- पिता/अभिभावक की आय न्यूनतम से प्रारम्भ कर आरोही क्रम(Ascending) में बजट की उपलब्धता की सीमा तक। अन्तिम आय सीमा एक से अधिक छात्रों की समान होने पर अधिक उम्र के छात्र को वरीयता देते हुये। एक से अधिक छात्रों की आयु समान होने की दशा में नाम के एल्फाबेटिकल आर्डर(A to Z) में धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

(घ) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में पेड सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें। परन्तु समुचित धनराशि उपलब्ध न होने पर उनके माता-पिता/अभिभावक की आय न्यूनतम से प्रारम्भ कर आरोही क्रम (Ascending) में बजट की उपलब्धता की सीमा तक। अन्तिम आय सीमा एक से अधिक छात्रों की समान होने पर अधिक उम्र के छात्र को वरीयता देते हुये। एक से अधिक छात्रों की आयु समान होने की दशा में नाम के एल्फोबेटिकल आर्डर(A to Z) में धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

(च) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित किये जाने हेतु अधिकृत हैं, उनमें अध्ययनरत छात्र/छात्रायें। परन्तु समुचित धनराशि उपलब्ध न होने पर उनके माता-पिता/ अभिभावक की आय न्यूनतम से प्रारम्भ कर आरोही क्रम (Ascending) में बजट की उपलब्धता की सीमा तक। अन्तिम आय सीमा एक से अधिक छात्रों की समान होने पर अधिक उम्र के छात्र को वरीयता देते हुये। एक से अधिक छात्रों की आयु समान होने की दशा में नाम के एल्फाबेटिकल आर्डर(A to Z) में धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

11(iv) नोटः-आय के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों की आय एक समान रखी जाय।

1	12000 तक	10
2	12000से अधिक 24000 तक	8
3	24000से अधिक 36000 तक	6
4	36000से अधिक 48000 तक	4
5	48000से अधिक	2

iiविगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के अंक-

क्रसं	विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत	वेटेज अंक
1	33% तक	2
2	33% से अधिक 45% तक	4
3	45% से अधिक 60% तक	6
4	60% से अधिक 75% तक	8
5	75% से अधिक	10

iii-समूहवार पाठ्यक्रम के अंक

क्रसं	समूहवार पाठ्यक्रम	वेटेज अंक
1	समूह-1	1
2	समूह-2	4
3	समूह-3	7
4	समूह-4	10

प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके परिवार की कुल वार्षिक आय विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार उपरोक्तानुसार वेटेज अंक प्रदान किया जायेगा। छात्र/छात्रा के परिवार की कुल वार्षिक आय, विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम तीनो के संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा तदोपरान्त घटते हुये क्रम में बजट की उपलब्धता तक वितरण किया जायेगा।

2. छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।

3. इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक(A to Z) क्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।

4. छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा।

(vi) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही नये अभ्यर्थियों को वितरित की जायेगी-

http://scandesk.upnic.in

				(i) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नवीनीकरण हेतु प्रत्येक छात्र/ छात्रा को उसके परिवार की कुल वार्षिक आय, विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान किया जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु वरीयता क्रम 11((iv) में वर्णित वरीयता क्रम में एवं बिन्दु(घ) में वर्णित रीति से वेटेज अंक प्रदान कर संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा तदोपरान्त घटते हुए क्रम में वितरण किया जायेगा बशर्ते कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहा हो एवं वह विगत कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की अगली कक्षा मे प्रवेश ले लिया हो। (ii) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा। (iii) इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक(A to Z) क्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। (vi) छात्र/छात्राओं के वेटेज अंक, आयु एवं अल्फोबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा। नोट-दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, आय/ प्राप्तांक/समूह के संयुक्त वेटेज, आयु, अल्फाबेटिक आधार पर प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एकसमान रखा जाय।
12	अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया।	(i) इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था को नियमानुसार शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस योजना में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत एवं नियमावली की प्रक्रिया के अनुसार छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार छात्र/छात्रा के बैंक खाते में जनपद कोषागार से ई-पेमेन्ट(e-payment) प्रक्रिया के तहत NEFT/RTGS के माध्यम से reimburse की जायेगी।	दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव	(i) इस योजना में अर्ह छात्रों को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा सशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था की नियमानुसार फीस/शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस नियमावली/ योजना में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के अन्तर्गत एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नियमानुसार छात्र/ छात्राओं के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS(Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिपूर्ति reimburse की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

		(ii) सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र परिशिष्ट-ख के अनुसार इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनलाइन सही-सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। तदोपरान्त प्रिन्ट आउट के साथ आवश्यक डाक्यूमेन्ट परिशिष्ट-ग के अनुसार तथा परिशिष्ट-घ के अनुसार शपथ पत्र सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद तीन कार्य दिवसों के भीतर अनिवार्य रूप से जमा किया जायेगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-च के अनुससार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।		(ii) सामान्य वर्ग छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नये निर्धारित प्रारूप पर इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा। विगत वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले एवं छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने वाले छात्र/ छात्राओं को नवीनीकरण हेतु सम्पूर्ण विवरण पुनः भरने के स्थान पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवीन/संशोधित सूचनाएं ही निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन उपलब्ध करानी होगी। छात्र/छात्राओं को समस्त प्रविष्टियां आनलाइन सही-सही भरकर उसका प्रिन्टआउट लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख परिशिष्ट-ग के अनुसार संलग्न कर शिक्षण संस्थान में आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के 07 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-च के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।
		(iii) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों पर अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी। 1· संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य- अध्यक्ष 2· संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक- सदस्य 3-संस्था के वरिष्ठतम् अनु0जाति के प्राध्यापक- सदस्य अथवा संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु0 जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में) अथवा उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक अनु0 जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्रध्यापक न होने की दशा में)		(iii) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों पर अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी। 1· संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य- अध्यक्ष 2-संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक - सदस्य 3-संस्था के वरिष्ठतम् अनु0जाति के प्राध्यापक- सदस्य अथवा संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु0 जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में) अथवा उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक(अनु0 जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)
		(iv) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का निर्धारित विवरण आनलाइन सत्यापित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। संस्थान द्वारा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट(संमस्त संलग्नकों सहित) आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्ड कापी, परिशिष्ट-छ के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र तथा परिशिष्ट-ज के अनुसार रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सहित संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के सम्बन्धित सक्षम जनपदीय या क्षेत्रीय अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा		(iv) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट समस्त संलग्नकों सहित संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्ड कापी, परिशिष्ट-छ के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित शिक्षा विभाग के सम्बन्धित सक्षम जनपदीय या क्षेत्रीय अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है तो ऐसे छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

		त्रुटिपूर्ण/गलत/अपूर्ण पाया जाता है ऐसे छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।		समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
		(v) प्रत्येक छात्र के सम्बन्ध में आवेदन पत्र की प्रति सम्बन्धित शिक्षण संस्था के कार्यालय में 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।		(v) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिगनेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण की तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का रखरखाव निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी। 1-शिक्षण संस्थान स्तर परः- (अ) शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु आनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमन्यता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में। (ब) छात्र-छात्राओं के आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की संलग्नक सहित हार्डकापी/साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में। छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साफ्टकापी(डीवीडी) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। 2-जनपद स्तर परः- क-जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तरः- 1- समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/ पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमन्य सीटों की संख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमन्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेश/सक्षम स्तर से जारी आदेशों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में। 2-शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित संख्यात्मक विवरण की हार्ड एवं साफ्टकापी डीवीडी में। 3-जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/ वितरण समिति द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार संख्यात्मक हस्ताक्षरित विवरण(छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित)हार्ड कापी में। 4- छात्रवृत्ति सर्वर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में। बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक, निदेशालय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। 6- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जंक एवं सस्पेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्ट एवं

http://shasanadesh.up.nic.in

				हार्डकापी छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित। 7· शैक्षिक संस्थावार छात्र-छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित छात्र-छात्रा के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित)। (ख) जनपदीय एन0आई0सी0 स्तर परः- 1- छात्र-छात्राओं द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों, जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से लाक किये गये डाटा का विवरण तथा बेनीफिशरी फाईल/ट्रांजेक्शन फाइल/बैंक खातों में अन्तरित छात्रवृत्ति/जंक व सस्पेक्ट डाटा का विवरण साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में।
		(vi) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता एवं पाठ्यक्रम हेतु अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या का परीक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा आनलाइन डाटा की हार्ड कापी अपनी संस्तुति सहित निर्धारित तिथि से पूर्व छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।		(vi) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता, पाठ्यक्रम हेतु अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण किया जायेगा तथा आनलाइन डाटा संस्तुत एवं अग्रसारित किया जायेगा। तदोपरान्त शिक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्नकों व अपनी संस्तुति सहित शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित डाटा को निदेशक, समाज कल्याण द्वारा एन.आई.सी.(स्टेट यूनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा-यू.पी.टी.यू. ए.आई.सी.टी.ई. यू.जी.सी. एन.सी.टी.ई एम.सी.आई. विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन तथा बोर्ड आफ रेवन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिक्सकर डुप्लीकेट डाटा की छटनी व परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा पृथक-पृथक सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।
		(vii) जनपद स्तर पर सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती हैः- 1-जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिला अधिकारी- अध्यक्ष 2-मुख्य/वरिष्ठकोषाधिकारी- सदस्य 3-जिला विद्यालय निरीक्षक- सदस्य 4-·जिला समाज कल्याण अधिकारी&सदस्य सचिव यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, जिसमें अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित है, की स्वीकृति प्रदान करेगी।		(vii) जनपद स्तर पर सामान्य वर्ग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती हैः- 1-जिलाधिकारी अध्यक्ष 2-मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष 3·जिला समाज कल्याण अधिकारी- सदस्य सचिव 4-जिला विद्यालय निरीक्षक- सदस्य 5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी- तकनीकी सदस्य 6-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी- सदस्य यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

		(viii) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत किया जायेगा। निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से समन्वय कर इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन जनपदवार मांग पत्र तैयार कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी आनलाइन डाटा संस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक छात्र/छात्रा के बैंक खाता एवं बैंक शाखा के आई0एफ0एस0 कोड का मिलान कर लेगें। आनलाइन जनपदवार मांग सृजित होने के उपरान्त निदेशालय द्वारा बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि कोषागार के माध्यम से जनपदों को आवंटित की जायेगी।		(viii)(1) जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक/ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित एवं अग्रसारित तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(स्टेट यूनिट) लखनऊ से परीक्षणोपरान्त प्राप्त आनलाइन डाटा को समस्त छात्रों के विवरण सहित सूची की हार्डकापी जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी- क-शिक्षा अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित किये जायेंगे। ख-जिला समाज कल्याण अधिकारी आनलाइन शिक्षा अधिकारियों से अग्रसारित डाटा को आनलाइन अग्रसारित करेंगे। ग-जिला समाज कल्याण अधिकारियों से आनलाइन अग्रसारित डाटा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ(स्टेट यूनिट) द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से समस्त जनपदों के डाटा का परीक्षण किया जायेगा तथा उक्तानुसार परीक्षणोपरान्त शुद्ध एवं जंक डाटा जनपदों के लागिन पर उपलब्ध रहेगा। घ-जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षाधिकारियों से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। ङ- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हार्डकापी पर एवं आनलाइन भी प्रदान की जायेगी, जिसे जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व शिक्षण संस्थान एवं छात्र/छात्रा के विवरण आदि का मिलान हार्डकापी से एवं स्थलीय जांच अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी। च- यही प्रक्रिया जनपद स्तर पर जंक डाटा को शुद्ध करते हुए पुनः अपनायी जायेगी तथा शासन द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण की जायेगी। 2· जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी। 3· इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ही ई-पेमेन्ट के तहत PFMS(Public Financial

http://shasanadesh.up.nic.in

				Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। 4· जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लाक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से इस नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर केवल मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लाक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी क्योंकि इसी लाक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा। 5· जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से प्राप्त सस्पेक्ट डाटा में यदि किसी छात्र का बैंक खाता, आई0एफ0एस0कोड तथा पाठ्यक्रम की स्वीकृत फीस की धनराशि त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो डिजीटल सिग्नेचर से लाक करने से पूर्व जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की लिखित अनुमति छात्रवार प्राप्त कर संबंधित छात्रों की त्रुटियों को ठीक कराकर शुद्ध डाटा ही डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लाक किया जायेगा। 6· जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लाक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण हो जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी।
		(ix) निर्धारित रीति से जनपदों को इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत वितरण का दायित्व भी नियम-12(vii) में अंकित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का होगा।	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के स्तर पर परीक्षण के बिन्दु	(ix) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जायेगाः- 1· छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल के अनुक्रमांक वर्ष एवं बोर्ड का मिलान उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य परीक्षा बोर्डों की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा। 2· छात्र/छात्राओं के आय प्रमाण पत्र/ निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा। 3· छात्र/छात्राओं के विवरण को राज्य स्तर पर आपस में मिक्सिंग कर सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर लिया जायेगा। 4-छात्र/छात्राओं के विश्वविद्यालय/बोर्ड पंजीयन के क्रमांक का मिलान संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से करा लिया जायेगा। 5-छात्र/छात्राओं द्वारा वार्षिक नान रिफन्डेबिल शुल्क

http://shasanadesh.up.nic.in

				के रूप में अंकित की गयी शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का मिलान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क स्ट्रक्चर में अंकित शुल्क की धनराशि से कराया जायेगा।
		(x) अभ्यर्थी को अनुमन्य अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शैक्षणिक संस्था के समीपस्थ स्थित बैंक में खोले गये उसके बचत खाते में जनपद कोषागार से ई-पेमेन्ट(e-payment) प्रक्रिया के तहत NEFT/RTGS के माध्यम से अन्तरित की जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान प्रति वर्ष या निर्धारित अन्तराल पर, जैसा भी लागू हो, किया जायेगा।		(x) अभ्यर्थी को अनुमन्य छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उसके बचत खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट(e-payment) के तहत PFMS(Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान प्रतिवर्ष एकमुश्त किया जायेगा।
		(xi) इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि छात्र/छात्रा के बैंक खाते में जनपद कोषागार से ई-पेर्मेन्ट(e-payment) प्रक्रिया के तहत NEFT/RTGS के माध्यम से सीधे अन्तरित की जायेगी जिसका दायित्व मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा। छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण जिलाधिकारी स्तर से किया जायेगा।		(xi) इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट(e-payment) के तहत PFMS(Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। छात्र/ छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।
				(xii) छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट के तहत PFMS(Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा। निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी PFMS(Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से छात्र/ छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अन्तरित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
				(xiii) निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसका उपयोग करके बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेनीफिशरी फाइल को PFMS(Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त प्राप्त वैध बेनीफिशरी के अनुसार सभी जनपदों का एक संकलित बिल तैयार कर जवाहर भवन कोषागार लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस ट्रेजरी टोकन नंबर को छात्रवृत्ति की बेवसाइट पर फीड करके ट्रांजेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी जो PFMS सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी जिसके द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण सीधे छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में हो

http://shasanadesh.up.nic.in

				जायेगा। PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त इनवेलिड बेनीफिशरी जनपदों के लागिन पर उपलब्ध रहेगी जिसे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत शुद्ध कर PFMS सर्वर पर अपलोड करने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लाक किया जायेगा। वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी(योजना) द्वारा PFMS साफ्टवेयर पर पुनः अपलोड कर धनराशि अन्तरण करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
				(xiv) एन.आई.सी.(राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनो अधिकारियों को संयुक्त रूप से बेनीफिशरी फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति/कोषागार/पीएफएमएस सर्वर पर) डाटा को ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
				(xv) उपरोक्त प्रयोजन हेतु जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी नामित किया जाता है। वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करेंगे।
				(xvi) वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेंगी। उक्तानुसार जनरेटेड बेनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में बिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट पर फीड कराने, बैंकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक का होगा।
				(xvii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा धनराशि अन्तरण से सम्बन्धित विवरण को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित जनपद वितरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट अपने लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से जनरेट कर सकेंगे।
13	भुगतान व्यवस्था	(i) संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात भरे जाने वाले आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।	भुगतान व्यवस्था	(i) संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात भरे जाने वाले आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
		(ii) वित्त नियन्त्रक द्वारा राज्य स्तरीय एन0आई0सी0 के सहयोग से अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग सृजित (Generate) कराकर निर्धारित तिथि के अन्दर जनपदों को कोषागार के माध्यम से धनराशि आवंटित की जायेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा पूर्णतया लाक कर दिया जायेगा।		(xii) निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की मांग सृजित (Generate) कराकर तथा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा साफ्ट्वेयर के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट(e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

				साफट्वेयर के माध्यम से उपलब्ध बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा लाक कर दिया जायेगा।
		(iii) उक्तानुसार आनलाइन सृजित मांग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार की ई-पेमेण्ट प्रक्रिया के तहत NEFT/RTGS के माध्यम से मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तक पात्र छात्र/ छात्राओं के बैंक खाते में धनराशि अवश्य अन्तरित कर दी जायेगी।		(iii) उक्तानुसार आनलाइन सृजित मांग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार की ई-पेमेण्ट(e-payment) प्रक्रिया के तहत PFMS(Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक धनराशि अनिवार्य रूप से अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से ई-पेमेण्ट(e-payment) के तहत PFMS(Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रांजेक्शन/ अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रांजेक्शन/ अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में निर्धारित तिथि तक जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियत्रंक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। बैंको का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम् 01 माह के अन्दर वित्त नियन्त्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियन्त्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।
		(iv) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में सीधे अन्तरित कर दी जायेगी।		(iv) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि विभाग/कोषागार द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्र/ छात्राओं के बैंक खातों में सीधे अन्तरित कर दी जायेगी।
		(v) अनुरक्षण भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षायें पूरी होती हैं, देय होंगे। बशर्ते यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले		(v) अनुरक्षण भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षायें पूरी होती हैं, देय होंगे। बशर्ते यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

		महीने से दी जायेगी।		
		(vi) गतवर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दिया जायेगा, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान किया गया था।		(vi) गतवर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दी जायेगी, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान की गयी थी।
14	छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण	(i) एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी। बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा रहे तथा उपस्थिति में नियमितता रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सत्त चलता रहता है, छात्र हर वर्ष उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुचता रहे। परीक्षायें भले ही विश्वविद्यालय द्वारा ली जाय अथवा संस्था द्वारा। किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।	छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण	(i) छात्र/छात्रा को एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी बशर्ते कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सत्त चलता रहता है, छात्र/छात्रा हर वर्ष विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुचता रहे। समूह-2, 3 एवं 4 में किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
		(ii) समूह-1 के पाठ्यक्रम वाला छात्र यदि पहली बार परीक्षा में असफल रहता है तो छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार अथवा तत्पश्चात असफल होने पर विद्यार्थी को अपना खर्च तब तक स्वयं वहन करना होगा जब तक अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता।		(ii) समूह-1 के पाठ्यक्रम वाला छात्र यदि पहली बार परीक्षा में असफल रहता है तो भी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार अथवा तत्पश्चात असफल होने पर विद्यार्थी को अपना खर्च तब तक स्वयं वहन करना होगा जब तक अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता।
		(iii) यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा/ अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा (संस्था के प्रमुख) यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।		(iii) यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा/ अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके (संस्था के प्रमुख) द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।
		(iv) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।		(iv) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।
15	छात्रवृत्ति के लिये अन्य शर्तें	(i) छात्रवृत्ति, अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुव्यवहार जैसे-हडताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि जो वह उचित समझे तक के लिए आगे	छात्रवृत्ति के लिये अन्य शर्तें	(i) छात्रवृत्ति, अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुव्यवहार जैसे-हडताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि जो वह उचित समझे तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

		का भुगतान रोक सकता है।		
		(ii) यदि यह पाया जाता है कि छात्र ने झूठी घोषणा से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त की है तो उसकी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति तुरन्त रद्द कर दी जायेगी और समाज कल्याण विभाग अपने विवेक से भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की धनराशि वसूल सकेगा। सम्बन्धित छात्र को काली सूची में सूचीबद्ध किया जायेगा और किसी भी योजना में छात्रवृत्ति से हमेशा के लिये वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्र के विरूद्ध उचित धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।	अनियमि-ततायें पाये जाने पर FIR दर्ज कराना छात्रों/ शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।	(ii) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर संबंधित छात्रों/ शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को काली सूची में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। 1- मास्टरडाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर। 2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर। 3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर। 4- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं, माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर। 5-छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर। 6- छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करके तथा अध्ययन छोड़ कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर। 7- छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/ हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर। 8- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/ शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शा कर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।
		(iii) प्रदत्त छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है, यदि छात्र उस पाठ्यक्रम का विषय बदल देता है, जिसके लिये वह छात्रवृत्ति मूलतः दी गयी थी अथवा छात्र राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन बगैर अध्ययन की संस्था को बदल लेता है। संस्था प्रमुख ऐसे मामलों के बारे में विभाग को सूचित		विलोपित

http://shasanadesh.up.nic.in

		करेगा ताकि विभाग छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान रोक देगा। राज्य सरकार के विवेक से पहले भुगतान की गयी धनराशि भी वसूल की जा सकती है।		
		(iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान यदि वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड दिया जाता है तो विभाग के निर्णय पर छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करनी होगी।		(iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करनी होगी।
	सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व	(i) प्रदेश की विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढाये जाने वाले मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं उनके शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के प्रशासकीय शिक्षा विभाग यथा- माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग एवं स्टेट मेडिकल फैकेल्टी तथा यदि कोई अन्य विभाग हो तो उनके द्वारा किया जायेगा।	सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व	(i) प्रदेश की विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढाये जाने वाले मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं उनके शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के प्रशासकीय शिक्षा विभाग यथा- माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग एवं स्टेट मेडिकल फैकेल्टी तथा यदि कोई अन्य विभाग हो तो उनके द्वारा किया जायेगा।
		(ii) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय/क्षेत्रीय अधिकारी अथवा संस्था द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को मास्टर डाटाबेस में अपलोड कराने हेतु अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जायेगा।		(ii) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क आदि का विवरण सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय/क्षेत्रीय अधिकारी अथवा शिक्षण संस्था द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जायेगा।
		(iii) सभी संबंधित विभाग अपने विभाग के जनपद स्तरीय अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों से नियम-12 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।		(iii) सभी संबंधित विभाग अपने विभाग के जनपद स्तरीय अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों से नियम-12 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
17	जनपद स्तर पर अनुश्रवण	(i) छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती हैः- 1 जिलाधिकारी- अध्यक्ष 2 जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का अध्यक्ष- उपाध्यक्ष 3 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी- सदस्य 4 जनपद में स्थित रा0 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो सदस्य 5 जनपद में स्थित रा0 मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो- सदस्य 6 जनपद में स्थित रा0 इंजी0 कालेज के प्राचार्य यदि कोई हो- सदस्य 7 जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो- सदस्य 8 जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य 9 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC)- सदस्य 10 जिला समाज कल्याण अधिकारी- - सदस्य/सचिव	जनपद स्तर पर अनुश्रवण	(i) छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती हैः- 1 जिलाधिकारी- अध्यक्ष 2 मुख्य विकास अधिकारी- उपाध्यक्ष 3 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी- सदस्य 4 जनपद में स्थित रा0 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो- सदस्य 5 जनपद में स्थित रा0 मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो- सदस्य 6 जनपद में स्थित रा0 इंजी0 कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो- सदस्य 7 जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य यदि कोई हो- सदस्य 8 जिला विद्यालय निरीक्षक- सदस्य 9 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC)- सदस्य 10 जिला समाज कल्याण अधिकारी- सदस्य/सचिव
		(ii) उक्त समिति छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्वविवेक से सत्यापन करायेगी। समिति की बैठक प्रतिमाह की जायेगी तथा प्रत्येक माह कृत कार्यवाही		(ii) उक्त समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्वविवेक से सत्यापन करायेगी तथा व्यवसायिक, तकनीकी एवं चिकित्सा आदि के किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष

http://shasanadesh.up.nic.in

		विषयक आख्या मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।		में प्रवेशित छात्रों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय/कालेज में हुआ नामांकन तथा पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।
		(iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत-प्रतिशत सत्यापन करायेगी- क- पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थायें। ख- जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग 1 करोड़ रू0 व उससे अधिक हो। उक्त के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से रैंडम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जांच अथवा सत्यापन भी करा सकेगी।		(iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत-प्रतिशत सत्यापन करायेगी- क- पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थायें। ख- जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग एक करोड़ रूपये या उससे अधिक हो। ग- उक्त के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से रैंडम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जांच अथवा सत्यापन करा सकेगी।
		(iv) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों सहित जानकारी संस्था के माध्यम से छात्रों को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिये आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।		(iv) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन0आई0सी0 के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिये आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।
				(v) छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जांच सुनिश्चित करायी जायेगी। छात्र/छात्राओं के रैण्डमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली साफ्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रैण्डम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेगें और अनियमितता पाये जाने पर नियमावली के नियम-15(ii) के अनुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
				(vi) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विद्यालयवार सृजित मांग एवं वितरित धनराशि के अभिलेखों/पंजिकाओं को पूर्ण कराने एवं अनुरक्षण

http://shasanadesh.up.nic.in

				करने बुक कीपिंग व रिकार्ड कीपिंग वितरित की गयी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा विभागीय/ महालेखाकार द्वारा आडिट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।
18	प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण की प्रक्रिया।	अन्य प्रान्तों में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों मे अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं विवरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगाः- (i) अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग के लिये दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी। छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन परिशिष्ट-ग पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनलाइन सही-सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/ छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ परिशिष्ट-घ के अनुसार समस्त संलग्नकों तथा परिशिष्ट-च के अनुसार शपथ पत्र सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-छ के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी। छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनलाइन सत्यापित किया जायेगा तथा सत्यापित डाटा का विवरण हार्ड कापी के साथ परिशिष्ट-ज के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र तथा परिशिष्ट-झ के अनुसार रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सहित तथा संस्था प्रमुख की संस्तुति सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा, जिसको जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यक जांचोपरान्त जिला स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त कर इन्टरनेट के माध्यम से मांग सृजित (Generate) की जायेगी। अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं के लिये धनराशि अन्तरण की प्रक्रिया प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही रहेगी। छात्र/ छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति उनके बैंक खाते में सीधे जनपद कोषागार से ई-पेमेन्ट(e-payment) प्रक्रिया के तहत NEFT/RTGS के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।	प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण की प्रक्रिया।	अन्य प्रान्तों में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों मे अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगाः- (i) 1 प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी । 2 छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन निर्धारित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/ छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनलाइन सही-सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ परिशिष्ट-ग के अनुसार समस्त संलग्नको सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-च के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/ छात्रा को प्रदान की जायेगी। 3 छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा तथा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत करते हुए परिशिष्ट-छ के अनुसार सत्यापन प्रमाण-पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। 4 शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित डाटा को निदेशक, समाज कल्याण, निदेशालय उ0प्र0 द्वारा एन.आई.सी.(स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा-यू.पी.टी.यू., ए.आई.सी.टी.ई., यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई, एम.सी.आई., विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों, बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन एवं बोर्ड आफ रेवन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिक्स कर डुप्लीकेट डाटा की छटनी व परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध होगा। 5 जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा के विवरण को जनपदीय

http://shasanadesh.up.nic.in

				छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/ छात्रा के विवरण की हार्ड कापी से आवश्यक मिलान अपने स्तर से रेण्डमली करायेगी। 6 जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजीटल सिगनेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं लाक किया जायेगा। 7 जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी। 8 जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। 9 तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियन्त्रक द्वारा राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट(e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्र/ छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) का होगा। 10 छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा किया जायेगा। 11 अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चयन की प्रक्रिया, वरीयता क्रम निर्धारण, PFMS प्रणाली से धनराशि के अन्तरण की प्रक्रिया, फेल्ड ट्रांजक्शन एवं अवितरित धनराशि के रिसीट हेड में जमा करने के नियम व प्रक्रिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित नियम व प्रक्रिया के अनुसार ही रहेगी।
		(ii) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित छात्र उत्तर प्रदेश की किसी शिक्षण संस्था में पंजीकृत अथवा अध्ययनरत तो नहीं है।		(ii) विलोपित

http://shasanadesh.up.nic.in

		(iii) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का आनलाइन विवरण समाज कल्याण विभाग द्वारा अलग तैयार किया जायेगा।		(iii) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थानों, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हार्डकापी एवं साफ्टकापी (डीवीडी) एवं हार्डडिस्क में नियमावली के नियम-12(V) में वर्णित व्यवस्थानुसार 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।
19	संशोधन का अधिकार	(i) इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई निवारण करने की शक्ति मा0 मुख्य मंत्री जी में निहित होगी।		(i) इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई का निवारण करने की शक्ति मा0 मुख्य मंत्री जी में निहित होगी।
20	न्यायालय परिक्षेत्र			किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश होगा।

कृपया तद्नुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-1354(1)/26-3-2014 तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/ व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2 महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजें तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

4 निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5 समस्त मण्डलीय संयुक्त/उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6 समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7 निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

8 सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

9 वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in